फाइल नं. : पी-13013/95/2023-यूडीआईडी/आईटी/सांख्यिकी - पार्ट (1)

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

दिनांक: 13.06.2024

उन मामलों को संभालने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जिनमें दिव्यांग व्यक्ति की दिव्यांगता के प्रकार या प्रतिशत या दोनों में बदलाव हो जाता है; अथवा जहां ऐसा दिव्यांगजन स्थायी रूप से अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाता है, जिसे पहले ही यूडीआईडी कार्ड/दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है।

यूडीआईडी परियोजना के बारे में: देश भर में दिव्यांगजनों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के उद्देश्य से यूडीआईडी उप योजना को लागू किया जा रहा है। यूडीआईडी परियोजना के अंतर्गत, संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिसूचित सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों के माध्यम से दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाणपत्र और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र जारी किए जाते हैं। परियोजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को सरकारी लाभ प्रदान करने की प्रणाली में पारदर्शिता, दक्षता को प्रोत्साहित करना है।

उद्देश्य: - इस मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का उद्देश्य दिव्यांगजनों की दिव्यांगता के पुनर्मूल्यांकन या यूडीआईडी पोर्टल (www.swavlambancard.gov.in) पर पुनः आवेदन करने के लिए तंत्र प्रदान करने में शामिल चरणों को स्पष्ट करना है। पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता केवल निम्नलिखित मामलों में की जा सकती है :

क. यदि दिव्यांगता के प्रकार, उसके प्रतिशत या दोनों में परिवर्तन होता है।

ख. यदि दिव्यांगजन स्थायी रूप से एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित हो जाता है।

उपरोक्त दोनों मामलों के लिए एसओपी निम्नानुसार होगा :

1. यूडीआईडी पोर्टल www.swavlambancard.gov.in पर जाएं।

यूडीआईडी परियोजना के बारे में: देश भर में दिव्यांगजनों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के उद्देश्य से यूडीआईडी उप योजना को लागू किया जा रहा है। यूडीआईडी परियोजना के अंतर्गत, संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिसूचित सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों के माध्यम से दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाणपत्र और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र जारी किए जाते हैं। परियोजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को सरकारी लाभ प्रदान करने की प्रणाली में पारदर्शिता, दक्षता को प्रोत्साहित करना है।

उद्देश्य: - इस मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का उद्देश्य दिव्यांगजनों की दिव्यांगता के पुनर्मूल्यांकन या यूडीआईडी पोर्टल (www.swavlambancard.gov.in) पर पुनः आवेदन करने के लिए तंत्र प्रदान करने में शामिल चरणों को स्पष्ट करना है। पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता केवल निम्नलिखित मामलों में की जा सकती है :

क. यदि दिव्यांगता के प्रकार, उसके प्रतिशत या दोनों में परिवर्तन होता है।

ख. यदि दिव्यांगजन स्थायी रूप से एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित हो जाता है।

उपरोक्त दोनों मामलों के लिए एसओपी निम्नानुसार होगा :

1. यूडीआईडी पोर्टल www.swavlambancard.gov.in पर जाएं।
2. दिव्यांग व्यक्ति को पीडब्ल्यूडी लॉगिन लिंक का प्रयोग करके अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन करने और आवश्यक विवरण जैसे – यूडीआईडी नंबर / नामांकन संख्या, जन्म तिथि, कैप्चा भरने और लॉगिन बटन पर क्लिक करने की आवश्यकता है।
3. अपने डैशबोर्ड में लॉग इन करने के बाद, दिव्यांग व्यक्ति अपने पिछले कार्ड को सरेंडर करने का अनुरोध करेगा। यूडीआईडी कार्ड को सरेंडर करने का अनुरोध संबंधित चिकित्सा प्राधिकारी के पास पहुंच जाएगा जो सत्यापन के बाद दिव्यांग व्यक्ति के अनुरोध को स्वीकार करेगा और यदि पिछला कार्ड दिव्यांग व्यक्ति के पास उपलब्ध है अथवा जैसा भी मामला हो, उसे अपनी अभिरक्षा (कस्टडी) में ले लेगा।
4. दिव्यांग व्यक्ति यूडीआईडी पोर्टल पर नए कार्ड के लिए आवेदन करेगा और यह अनुरोध संबंधित चिकित्सा प्राधिकरण तक पहुंच जाएगा।

5. इसके बाद, सीएमओ या संबंधित चिकित्सा प्राधिकारी पोर्टल पर दिए गए अनुसार यूडीआईडी कार्ड जेनरेट करेगा।

6. इससे संबंधित प्रक्रिया प्रवाह इस प्रकार है: -

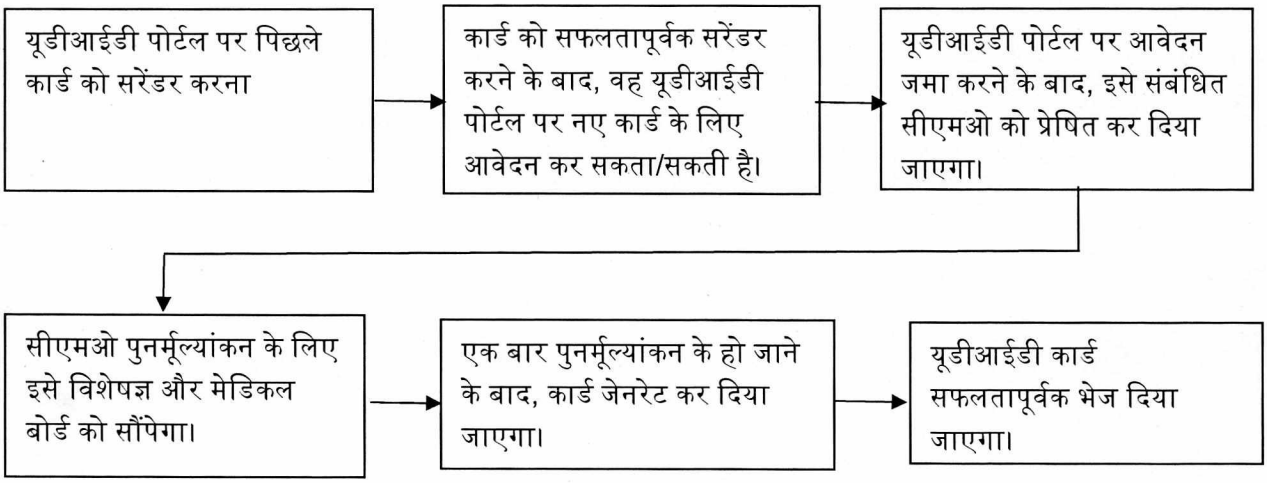

7. अंत में, इस सूचना को प्रिंटिंग एजेंसी के साथ साझा कर दिया जाएगा और कार्ड दिव्यांग व्यक्ति को उनके घर के पते पर भेज दिया जाएगा।

(जसबीर सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार